वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
72 / 2024	28.08.2024	12.09.2024

उनवान

1. श्री सुशील कुमार पुत्र मदनलाल लाठी निवासी पुरानी धानमण्डी कसारा बाजार, भीलवाडा

—— वादी

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र मूलचन्द माली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 12.09.2024 पीठासीन अधिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील जिला भीलवाडा।

1. सुशील कुमार पुत्र मदनलाल लाठी हिस्सा सम्पूर्ण जाति महाजन, निवासी पुरानी धानमण्डी भीलवाडा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :–

   आराजी नम्बर 6751/2 क्षैत्रफल 0.3690 हैक्टयर रहेगी।

2. कैलाशचन्द्र पुत्र मूलचन्द माली सम्पूर्ण सा0 देह खातेदार भीलवाडा के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :–

   आराजी नम्बर 6362 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6364 रकबा 0.0424 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6751/3 रकबा 0.3012 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.3689 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद कार्यवाही करें।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2024	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2402 दिनांक 12.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :– ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील जिला भीलवाडा। 1. सुशील कुमार पुत्र मदनलाल लाठी हिस्सा सम्पूर्ण जाति महाजन, निवासी पुरानी धानमण्डी भीलवाडा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :– आराजी नम्बर 6751/2 क्षैत्रफल 0.3690 हैक्टयर रहेगी। 2. कैलाशचन्द्र पुत्र मूलचन्द माली सम्पूर्ण सा0 देह खातेदार भीलवाडा के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :– आराजी नम्बर 6362 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6364 रकबा 0.0424 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6751/3 रकबा 0.3012 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.3689 हैक्टेयर रहेगी। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। सहायक कलक्टर भीलवाडा	